<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए केआईओसीएल की शुल्क संरचना</u>

कंपनी भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क संरचना का पालन करती है। सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत के विनियमन) नियम 2005 यथा संशोधित के अधीन भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए वर्तमान शुल्क संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं	अनुरोध का स्वरूप	आरटीआई की लागू धारा जिसके तहत् अनुरोध किया गया है	देय शुल्क की राशि	भुगतान का तरीक
1.	सूचना मांगने के लिए अनुरोध (अर्थात् सूचना के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन)	धारा 6 (1)	रु 10/-	नकद या डीडी या बैंकर्स चेक या पोस्टल आदेश
2.	सूचना,नमूना,निरीक्षण प्रदान करने के लिए (क) सृजित या कॉपीकृत ए4 या ए3 के प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ख) बड़े आकार के कागज के प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ग) नमूने या मोड्यूलस के लिए (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए	धारा 7(1)	 रु. 2/- वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और अनुवर्ती प्रत्येक घंटे (उसके खंड को) के लिए 5 रूपए	 -वही- -वही- -वही- -वही-
3.	सूचना प्रदान करने के लिए (क) डिस्क या फोल्पी में (ख) मुद्रित रूप में	धारा 7(1)	 डिस्क या फोल्पी के लिए 50 रु उक्त प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धृत फोटो कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए रुपए 2/-	 -वही- -वही-

फिर भी, अधिनियम की धारा 7(5) के परन्तुक के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारितनुसार गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों से इस प्रकार के शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।